पत्रिका

ईओडब्ल्यू ने घोटालों के तीनों आरोपियों को विशेष न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया

कस्टम मिलिंग में टुटेजा व अनवर और शराब घोटाले में नवनीत से 21 तक पूछताछ

रायपुर@पत्रिका. कस्टम मिलिंग घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और शराब घोटाले में नवनीत तिवारी से 21 जुलाई तक पूछताछ होगी। ईओडब्ल्यू ने तीनों को विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को पेश किया। इस दौरान न्यायाधीश को बताया कि कस्टम मिलिंग घोटाले में टुटेजा और अनवर की संलिप्तता के इनपुट मिले हैं। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ करने की जरूरत है। वहीं, शराब घोटाले में नवनीत तिवारी की भूमिका रही है। इस प्रकरण में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी ने अपने भाई को कोरबा और रायगढ़ में कोयला की अवैध वसूली का काम दिया गया था। वहां 25 रुपए प्रति टन के हिसाब से वसूली करने की जानकारी मिली है। इसे एकत्रित कर सिंडिकेट में शामिल सभी लोगों तक पहुंचाया जाता था। इस संबंध में पूछताछ करनी है। इसे देखते हुए पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर देने का अनुरोध किया। इसे विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार कर रिमांड अवधि समाप्त होने पर 21 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया।

आबकारी अफसरों ने अग्रिम जमानत मांगी

शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए 23 आबकारी अधिकारियों ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत के लिए आवेदन लगाया है। इसकी सुनवाई 18 जुलाई को होगी। जमानत लगाने वालों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी से लेकर आबकारी उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं। पेश किए गए जमानत आवेदन में बताया गया है कि विवेचना में उनके द्वारा सहयोग किया गया है। अग्रिम जमानत दिए जाने पर वह फरार नहीं होंगे। साथ में पूछताछ और सुनवाई के लिए बुलवाए जाने पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

इनके नाम

प्रमोद जैन, जेठूरम मंडावी, मंजूश्री कसेर, रामकृष्ण मिश्रा, विजय शर्मा, अनिमेश नेताम, मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह मूर्ति, नितिन खंडूजा, अश्विन कुमार अनंत, सोनल नेताम, गरीबपाल सिंह दर्दी, सौरभ बक्शी, अनंत कुमार सिंह, नोहर सिंह ठाकुर, दिनकर वासनिक, अरविंद पाटले, भगवान सिंह तोमर, जर्नादन कौरव, इकबाल अहमद, एलएल धुरव और नीतू नोतानी का नाम शामिल हैं।